



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, अप्रैल 15, 2004/चैत्र 26, 1926

No. 379]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2004/CHAITRA 26, 1926

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004

का.आ. 497(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों) नियम, 2003 के नियम (5) के उप नियम (1) के साथ पठित जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए अधिसूचना संख्या का. आ. 1147 (अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2003 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संशोधित करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या क 12 से 16 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- | | |
|--|-------------------------------|
| (12) प्रोफेसर राधवेन्द्र गाडेकर
पारिस्थितिकीय विज्ञान केन्द्र, II एस सी, बंगलौर-12 | (30 सितम्बर, 2006 तक नियुक्त) |
| (13) प्रोफेसर अनिल गुप्ता
भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) वस्त्रपुर, अहमदाबाद | (30 सितम्बर, 2006 तक नियुक्त) |
| (14) डा. पी. पुष्पांगदान
निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | (30 सितम्बर, 2006 तक नियुक्त) |
| (15) प्रोफेसर एल कन्नन
निदेशक, अनुसंधान, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु | (30 सितम्बर, 2006 तक नियुक्त) |
| (16) डा. ए. के. घोष
पूर्व निदेशक, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण,
29 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068 | (30 सितम्बर, 2006 तक नियुक्त) |

और उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (2) और क्रम संख्यांक (4) से (11) में, "संयुक्त सचिव" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य रैंक का कोई अधिकारी" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी)]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 1 अक्टूबर, 2003 में का. आ. संख्या 1147 (अ) में तारीख 1 अक्टूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2004

S.O. 497(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), read with sub-rule (1) of rule (5) of the National Biodiversity Authority (Salary, Allowances and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, the Central Government hereby appoints the following non-official members to the National Biodiversity Authority and for that purpose amends the notification number S.O. 1147 (E) dated 1st October, 2003, on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification, for serial numbers 12 to 16 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (12) Prof. Raghvender Gadekar,
Centre for Ecological Science, IISc,
Bangalore-12. | (appointed upto 30th September, 2006) |
| (13) Prof. Anil Gupta,
Indian Institute of Management (IIM),
Vastrapur, Ahmedabad. | (appointed upto 30th September, 2006) |
| (14) Dr. P. Pushpangadan,
Director,
National Botanical Research Institute, Lucknow. | (appointed upto 30th September, 2006) |
| (15) Prof. L. Kannan,
Director,
Research, Annamalai University, Tamil Nadu. | (appointed upto 30th September, 2006) |
| (16) Dr. A.K. Ghosh, Former Director,
Zoological Survey of India,
29 Jodhpur Park, Kolkata-700068. | (appointed upto 30th September, 2006) |

Further, in the said Notification, in Serial numbers (2) and (4) to (11), for the words “**Joint Secretary**” the words “**Joint Secretary or an officer of an equivalent rank**”, shall respectively be substituted.

[F. No. J-22018/46/2003-CSC(BC)]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 1st October, 2003 *vide* S.O. 1147 (E) dated the 1st October, 2003.